प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाड़मेर, थाना:–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 262/2024 दिनांक 13.11.24

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 7,7ए,

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– .....

(3) अधिनियम .....–..... धाराये :–.....–.....

(4) अन्य अधिनियम व धारायें :– 61(2) बीएनएस 2023

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 172 समय 08.52 PM

(ब) अपराध के घटने का दिन :–मंगलवार, दिनांक 12.11.2024, समय 05.05 पी.एम..

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 05.11.2024 समय 05:15 पी.एम.,

4. सूचना की किस्म :– हस्तलिखित,

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–चौकी से बदिश उत्तर – पश्चिम बफासला करीब 70 कि. मी. दूर।

(ब) पता :– रामगढ, जिला जैसलमेर

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–

श्री गेमराराम पुत्र श्री सन्तोकाराम निवासी पारेवर जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी पारेवर पुलिस थाना रामगढ

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

1. श्री रामलाल पुत्र श्री भानाराम जाति जाट 58 साल निवासी ग्राम कुड़ी पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर।

2.श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम जाति भील उम्र 43 साल निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर।

3. श्री अजयपालसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपुत निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराब जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य ट्रेप राशि 6000/–रू0,

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर

विषयः— रिश्वत न देकर रंगे हाथो पकड़वाने बावत।

महोदय

नम्र निवेदन है कि मै गेमराराम पुत्र श्री सन्तोकाराम निवासी पारेवर जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी पुलिस थाना रामगढ पैसा किराणा की दुकान, कृषि कार्य का अर्ज इस प्रकार है कि मै पारेवर गांव में किराणा की दुकान चलाता हुँ। मै पुर्व में शराब व्यवसाय का काम करता था एवं पुलिस थाना रामगढ को श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब के मार्फत मंथली देता था, फिर भी मेरे उपर पुलिस थाना रामगढ द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2024 दिनांक 24.10.2024 एवं 81/2024 दिनांक 01.11.2024 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे सीआई साहब श्री जयकिशन सोनी वगैराह द्वारा दर्ज कर देने के कारण वर्तमान में मैने उक्त कार्य बन्द कर दिया है, फिर भी पुलिस थाना रामगढ में कार्यरत सीआई साहब श्री जयकिशन सोनी व थानेदार श्री रामलाल जाट एवं अन्य पुलिस कर्मियो द्वारा बार बार मेरी किराणे की दुकान की तलाशी करने व बन्द करवाने की धमकी दे रहे है। इससे मेरी किराणे की दुकानदारी का कार्य प्रभावित हो रहा है। पुलिस थाना रामगढ मे आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमो में मदद करने, मुकदमे मे जब्त मेरी मोटरसाईकिल एवं मेरी किराणे की दुकान की बार बार तलाशी बन्द करने के लिए मेरे से 10000 हजार रूपये मेरी मदद करने एवं मंथली के लिए मांग रहे है अगर में ये पैसे नही दुंगा तो ये पुलिस थाना रामगढ में दर्ज मुकदमे में मदद भी नही करेगे तथा मेरी किराणा की दुकान नही चलने देगे व बार बार परेशान करते रहेगे। वर्तमान में मेरी ऐसी स्थिति नही है कि मै इनको 10000 रूपये देकर किराणा की दुकान चला सकू। मेरे पास किराणा की दुकान के अलावा कोई रोजगार नही है न कि मै दुकान बन्द कर सकता हुँ। अतः मे इन कारणों से परेशान होकर इनको 10000 रूपये देने की बजाय 10000 रूपये की रिश्वत देकर इनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुँ। ये कई बार अपने जान पहचान वाले के खाते मे फोन पे पैसे लेते है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करे।

प्रार्थी
—एस.डी.—
नाम— गेमराराम पुत्र श्री सन्तोकाराम
गांव पोस्ट पारेवर जिला जैसलमेर
मोबाईल नम्बर [redacted]

—एस.डी.— गवाह श्री हंसराज सहायक अभियन्ता दिनांक 11.11.2024
—एस.डी.— गवाह श्री प्रभुसिंह फायरमैन दिनांक 11.11.2024

—एस.डी.— नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 05.11.2024 वक्त 5.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री गेमराराम पुत्र श्री सन्तोकाराम निवासी पारेवर जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी पारेवर पुलिस थाना रामगढ ने उपस्थित होकर मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जैसलमेर को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि मै पारेवर गांव में किराणा की दुकान चलाता हुँ। मै पुर्व में शराब व्यवसाय का काम करता था एवं पुलिस थाना रामगढ को श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब के मार्फत मंथली देता था, फिर भी मेरे उपर पुलिस थाना रामगढ द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2024 दिनांक 24.10.2024 एवं 81/2024 दिनांक 01.11.2024 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे सीआई साहब श्री

जयकिशन सोनी वगैराह द्वारा दर्ज कर देने के कारण वर्तमान में मैने उक्त कार्य वन्द कर दिया है, फिर भी पुलिस थाना रामगढ में कार्यरत सीआई साहब श्री जयकिशन सोनी व थानेदार श्री रामलाल जाट एवं अन्य पुलिस कर्मियो द्वारा बार बार मेरी किराणे की दुकान की तलाशी करने व बन्द करवाने की धमकी दे रहे है। इससे मेरी किराणे की दुकानदारी का कार्य प्रभावित हो रहा है। पुलिस थाना रामगढ मे आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमो में मदद करने, मुकदमे मे जब्त मेरी मोटरसाईकिल एवं मेरी किराणे की दुकान की बार बार तलाशी वन्द करने के लिए मेरे से 10000 हजार रूपये मेरी मदद करने एवं मंथली के लिए मांग रहे है अगर में ये पैसे नही दुंगा तो ये पुलिस थाना रामगढ में दर्ज मुकदमे में मदद भी नही करेगे तथा मेरी किराणा की दुकान नही चलने देगे व बार-बार परेशान करते रहेगे। वर्तमान में मेरी ऐसी स्थिति नही है कि मै इनको 10000 रूपये देकर किराणा की दुकान चला सकू। मेरे पास किराणा की दुकान के अलावा कोई रोजगार नही है न ही मै दुकान बन्द कर सकता हुँ। अतः मे इन कारणों से परेशान होकर इनको 10,000 रूपये देने की बजाय 10,000 रूपये राशि रिश्वत में देकर इनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुँ। ये कई बार अपने जान पहचान वालो के खातों मे फोन पे से पैसे भी लेते है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होकर मय आधार कार्ड फोटो प्रति के अपने स्व–कलमी हस्ताक्षरित एव पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर में दर्ज मुकदमा नम्बर 78/2024 व 81/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतियों के पेश की। रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया, उपस्थित परिवादी श्री गेमराराम ने बताया कि आज सांय का समय हो जाने व उनकी उपस्थिति पुलिस थाना रामगढ में होने की जानकारी नही होने के कारण मैं आज सत्यापन करवाने में असमर्थ हुँ, मै उनकी उपस्थिति रामगढ में सुनिश्चित करके आपसे सम्पर्क कर लूंगा, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 06.11.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गेमराराम पुत्र श्री सन्तोकाराम निवासी पारेवर जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी पुलिस थाना रामगढ द्वारा दिनांक 05.11.2024 को पेश किये गये प्रार्थना पत्र व हालातो के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया एवं आगामी कार्यवाही बाबत आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये जाकर मन् अतिरिक्त पु0 अ0 द्वारा जरिये वाटस्एप्प कॉल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री गेमराराम के [redacted] पर कॉल किया, जिस पर परिवादी ने बताया कि आज मेरे घरेलू आवश्यक कार्य होने से उपस्थित नही हो सकता हुँ मै कल दिनांक 07.11.2024 को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर उपस्थित हो जाउँगा।

दिनांक 07.11.2024को परिवादी श्री गेमराराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं बताया कि मैने रामगढ थाने के श्री रामलाल थानेदार एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि की उपस्थिति सुनिश्चित कर ली है, जो आज रामगढ मे ही है, आज सत्यापन की कार्यवाही होने की पूर्ण सम्भावना है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा के मालखाना एच.एम. श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि नम्बर 114 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मालखाना से लाने बाबत निर्देशित किया, निर्देशानुसार श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि नम्बर 114 ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ऑपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री गेमराराम को भलीभाती समझाया जाकर कार्यालय हाजा के श्री किसनाराम कानि 238 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का आदान–प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व कानि किसनाराम को समझाईस की जाकर पुलिस थाना रामगढ की तरफ निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। मांग सत्यापन में गये हुए कानि श्री किसनाराम ने जरिये वाट्सएप्प कॉल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के हालातो से अवगत कराते हुए परिवादी से भी वार्ता करवाई परिवादी द्वारा मांग सत्यापन वार्तालाप के विस्तृत हालात बताये गये, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि श्री किसनाराम व परिवादी को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया, शाम को

करिब 05.35 पी.एम. परिवादी श्री गेमराराम व कानि श्री किसनाराम बाद रिश्वती राशि मांग सत्यापन के पुलिस थाना रामगढ से हाजिर कार्यालय आये, कानि श्री किसनाराम द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड स्वीच ऑफ हालात में मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि में हमराह परिवादी श्री गेमराराम के कार्यालय हाजा से निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना रामगढ के पास पहुँचे, जहाँ परिवादी को समझाईश कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू किया जाकर परिवादी श्री गेमराराम को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु पुलिस थाना रामगढ की तरफ रवाना किया तथा मैं वहीं आस–पास अपनी मौजूदगी छुपाते हुए परिवादी की वापसी का इन्तजार करता रहा, करीबन 1 घण्टे के बाद परिवादी श्री गेमराराम पुलिस थाना रामगढ से निकलकर मेरे पास पूर्व निश्चित स्थान पर उपस्थित आया, जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मैंने मेरी स्वयं की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। सत्यापन के संबध में पुछने पर परिवादी ने बताया कि श्री रामलाल थानेदार, श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब मुझे पुलिस थाना रामगढ मे ही उपस्थित मिले, श्री लक्ष्मीनायण हैड साहब ने मुझे रामलाल जी थानेदार साहब से मिलाया, जिस पर थानेदार जी ने मेरे से दस हजार रूपये की मांग की तथा श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब के बताये अनुसार फोन पे पर दस हजार रूपये रिश्वती राशि करने के लिए श्री रामलाल थानेदार ने कहा, जिस श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने फोन पे नम्बर ([redacted]) पिचानु दस चौबीस इठानु पैंसठ बता कर दस हजार रूपये फ़ोन पे करने पर प्रकरणों में मदद करने को कहा इत्यादि हालात निवेदन किये गये, जिस पर हाजिर परिवादी श्री गेमराराम ने भी कानि श्री किसनाराम के कथनों की पुष्टि करते हुए विस्तृत हालात अर्ज किये, ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मेमोरी कार्डयुक्त को ऑन कर सुनने पर श्री किसनाराम कानि. व परिवादी श्री गेमराराम द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई मगर उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी के "पुलिस थाना रामगढ मे आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में मदद करने, मुकदमे मे जब्त मोटरसाईकिल एवं किराणे की दुकान की बार बार तलाशी बन्द करने के लिए मेरे से 10000 हजार रूपये मेरी मदद करने एवं मंथली के लिए मांग रहे है" इत्यादि लम्बित कार्य के सम्बन्ध में उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता में पूर्णरूप से स्पष्ट नही होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वती राशि मांग सत्यापन को पुनः करवाया जाना उचित समझते हुए,परिवादी श्री गेमराराम को लम्बित कार्य के सम्बन्ध में पूर्णरूप से स्पष्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु समझाईश की, जिस पर परिवादी श्री गेमराराम ने मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै कल दिनांक 08.11.2024 को लम्बित कार्य के सम्बन्ध में पूर्णरूप से स्पष्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने की कोशिश कर लूंगा, ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इमरोजा दिनांक 07.11.2024 को परिवादी श्री गेमराराम व आरोपीगण श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के उपयोग मे लिये गये मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा, जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा मुर्तिब किये जाने का निर्णय लिया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। हाजिर परिवादी श्री गेमराराम को समझाया गया कि आप कार्यालय हाजा के कानि श्री किसनाराम के सम्पर्क में रहे एवं पुनः अपने लम्बित कार्य के सम्बन्ध में पूर्णरूप से स्पष्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का प्रयास करे, इत्यादि निर्देश दिये जाकर परिवादी को रूकसत किया गया।

दिनांक 08.11.2024 को समय 09.15 ए.एम. पर कानि श्री किसनाराम ने मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर बताया कि परिवादी श्री गेमराराम ने मुझ कानि से सम्पर्क कर बताया कि मैने श्री रामलाल थानेदार एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि की उपस्थिति का मालुमात कर लिया है उक्त दोनों आज पुलिस थाना रामगढ में ही है। यदि आप आज पुनः मांग सत्यापन वार्तालाप के लिए रामगढ आते है तो पुनः रिश्वती राशि का मांग सत्यापन हो सकता है। मै आपको पारेवर फांटा पर हाजिर मिलुंगा इत्यादि हालात कानि श्री किसनाराम द्वारा बताने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा के मालखाना एच.एम. श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि नम्बर 114 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मालखाना से लाने बाबत निर्देशित किया, निर्देशानुसार हैड कानि ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कानि श्री किसनाराम को सुपुर्द कर समझाईश की गई कि आप परिवादी के बताये अनुसार पुलिस थाना रामगढ पहुँचे एवं परिवादी के लम्बित कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में पूर्णरूप

से स्पष्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने के निर्देश दिये जाकर कानि को पुलिस थाना रामगढ की तरफ रवाना किया गया, परिवादी श्री गेमराराम व कानि श्री किसनाराम बाद पुनः रिश्वती राशि मांग सत्यापन के पुलिस थाना रामगढ से हाजिर कार्यालय आये, कानि श्री किसनाराम द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मेमोरी कार्डयुक्त को स्वीच ऑफ हालात में मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै कार्यालय हाजा से जरिये निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पारेवर फांटा पहुँचा, जहॉ पर परिवादी श्री गेमराराम एक व्यक्ति सहित मोटरसाईकिल पर उपस्थित मिले, जिस पर मैने श्री गेमराराम से उक्त व्यक्ति के बारे में पुछा तो बताया कि यह मेरा चचेरा भाई आदूराम उर्फ आईदानराम है जो पुलिस थाना रामगढ में दर्ज प्रकरण संख्या 81/2024 का आरोपी है जिसको भी आज थाने वालो ने वुलाया है, जिस पर मैं मेरी निजी मोटरसाईकिल व परिवादी व आदूराम उर्फ आईदान अपनी मोटरसाईकिल से पारेवर फांटा से रवाना होकर करीवन 11 एएम पर पुलिस थाना रामगढ के पास पहुँचे, मै गोपनीयता के कारण पुलिस थाना रामगढ से कुछ दुरी पर रूका जहॉ पर परिवादी श्री गेमराराम मेरे पास पैदल पैदल आया, मेरे द्वारा परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में समझाईश कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी श्री गेमराराम को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु पुलिस थाना रामगढ की तरफ रवाना किया तथा मैं वहीं आस–पास अपनी मौजूदगी छुपाते हुए परिवादी की वापसी का इन्तजार करता रहा, करीबन आधे घण्टे के बाद परिवादी पुलिस थाना रामगढ से निकलकर मेरे पास पूर्व निश्चित स्थान पर उपस्थित आया, जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मेमोरी कार्डयुक्त को प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मैंने मेरी स्वयं की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। पुनः मांग सत्यापन के संबध में परिवादी ने मुझे बताया कि श्री रामलाल थानेदार थाने पर उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरी वर्तमान आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण कल दिनांक 07.11.2024 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय मांगे गये 10,000 रूपयो मे से कुछ पैसे कम करने का बार बार निवेदन किया तो वो 7000 हजार रूपये की रिश्वत देने की शर्त पर मेरी किराणे की दुकान पर नही आने, बार बार परेशान नही करने व प्रकरणों में मदद के लिए सहमत हुआ। श्री रामलाल थानेदार ने मुझ से पुछा की आपने कल की पैसे फोन पे करने की वार्तानुसार, पैसे फोन पे कर दिये क्या? मेरे द्वारा असहमति जाहिर करने पर श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि को बुलाया, श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि ने श्री रामलाल थानेदार की उपस्थिति में ही कल दिनांक को बताये अनुसार फोन पे नम्बर [redacted] पर 4000 रूपये रिश्वती राशि के करने के लिए पुनः कहा जिस पर मैने 4000 रूपये तत्समय (समय 11.27 एएम दिनांक 08.11.2024) मैने मेरे फोन पे से कर दिये, उक्त फोन पे नम्बर [redacted] की डिटेल में फोन–पे धारक का नाम श्री अजयपालसिंह आया ताबाद श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने मुझे श्री भीखसिंह हैड साहब से भी मिलवाया, श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने दोनों प्रकरणों में 3000 रूपये श्री रामलाल थानेदार साहब के एवं 3000 हजार रूपये श्री भीखसिह हैड साहब के, कुल शेष 6000 रूपये देने पर पुलिस थाना रामगढ मे दर्ज मुकदमों में मदद करने, मुकदमे मे जब्त मेरी मोटरसाईकिल एवं किराणे की दुकान की बार बार तलाशी बन्द करने के लिए सहमत हुए इत्यादि हालात बताये ,जिस पर हाजिर परिवादी श्री गेमराराम ने भी श्री किसनाराम कानि. के कथनों की पुष्टि करते हुए रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के विस्तृत हालात बताये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मेमोरी कार्डयुक्त को ऑन कर सुनने पर किसनाराम कानि. व परिवादी गेमराराम द्वारा बताये गये सम्पुर्ण तथ्यों की पुष्टि हुई, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 07.11.2024 व दिनांक 08.11.2024 की मांग सत्यापन वार्ताओं को पुनः गहनता से सुना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री रामलाल थानेदार द्वारा परिवादी से दिनांक 07.11.2024 को हुई वार्ता में 10000 रूपये रिश्वत की मांग की एवं दिनांक 08.11.2024 को परिवादी द्वारा अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण 10,000 रूपयो मे से कुछ पैसे कम करने का बार बार निवेदन करने पर श्री रामलाल थानेदार ने 7000 हजार रूपये परिवादी से रिश्वत में देने पर किराणे की दुकान पर नही आने, बार बार परेशान नही करने व प्रकरणों में मदद के लिए सहमत हुआ एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि द्वारा श्री रामलाल थानेदार के लिए परिवादी को तयशुदा रिश्वती राशि फोन पे नम्बर [redacted] पर करने के लिए बार बार कहकर 4000 रूपये रिश्वती राशि के रूप में इमरोजा दिनांक 08.11.2024 को समय 11.27 एएम पर श्री अजयपालसिंह के उपरोक्त फोन पे पर प्राप्त करने से स्पष्ट होता है तथा श्री रामलाल थानेदार के 7000 मे से 4000 रूपये फोन पे प्राप्त करने के बाद शेष रहे 3000 रूपये एवं 3000 रूपये अन्य प्रकरण 81/2024 के अनुसंधान

अधिकारी श्री भीखसिह की उपस्थिति में प्रकरण में परिवादी के जब्त मोटरसाईकिल के वांछित दस्तावेज व्हीकल प्रटीकुलरर्स जिला परिवहन कार्यालय से देने पर मदद करने के एवज में कुल 6000 रूपये परिवादी श्री गेगराराम से रिश्वत में प्राप्त करने के लिए सहमत होना इत्यादि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB को निकालकर उक्त मैमोरी कार्ड एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा एवं फर्द ट्रान्सकिप्ट आईन्दा मुर्तिब किये जाने का निर्णय लिया गया, अब तक की हुई कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर आरोपीगणों के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। उपस्थित परिवादी श्री गेमराराम ने बताया कि मेरे द्वारा आरोपी श्री रामलाल थानेदार व श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि द्वारा बताये गये श्री अजयपालसिह के फोन पे नम्बर [redacted]6 पर कि गई रिश्वती राशि 4000 रूपये के युटीआर नम्बर [redacted] दिनांक 08.11.2024 समय 11.27 ए.एम. की डिटेल का स्कीनशॉट एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के वाट्सएप्प नम्बर 9636716002 व श्री रामलाल थानेदार के वाट्सएप्प नम्बर [redacted]6 पर उपरोक्त 4000 रूपये का स्कीनशॉट भेजने पर श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि ने मुझे वाट्सएप्प पर अपने वाट्सएप्प नम्बर [redacted] से वाट्सएप्प एवं सामान्य कॉल किया परन्तु मेरे द्वारा उसको कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि श्री किसनाराम 238 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर दिया जाकर परिवादी श्री गेमराराम के मोबाइल नम्बर [redacted] से श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई जाकर रिकॉर्ड की गई, आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि ने उक्त स्कीनशॉट को वाट्सएप्प से डिलीट करने का कहा जिस पर परिवादी द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के वाट्सएप्प नम्बर [redacted] पर भेजा गया स्कीनशॉट डिलीट कर दिया गया इत्यादि पर परिवादी श्री गेमराराम व आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मध्य हुई वार्तालाप के उपयोग मे लिये गये मूल मेमोरी कार्ड SENDISK 08 GB को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जिसकी फर्द ट्रान्सकिप्ट आईन्दा मुर्तिब किये जाने का निर्णय लिया गया एवं परिवादी द्वारा उपरोक्त आरोपीगणों को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन फोन पे किये गये 4000 रूपये का स्कीनशॉट लिए जाकर पेश करने पर शामिल पत्रावली किये गये। परिवादी श्री गेमराराम को हिदायत की गई कि आप आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 6000 रूपये की अतिशीघ्र व्यवस्था करे एवं आरोपीगण की गोपनीय रूप से रामगढ में उपस्थिति सुनिश्चित कर अतिशीघ्र पुनः कार्यालय में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आने की समझाईश कर रूकसत किया गया। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री कंवराजसिंह कानि 444 व श्री शेराराम चालक कानि 302 मय मोटरसाईकिल के गवाहान मामुर कर लाने हेतु मय तेहरीर के रवाना नगर परिषद जैसलमेर की तरफ किया गया। जो उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा श्री कंवराजसिंह कानि 444 व श्री शेराराम चालक कानि 302 मय मोटरसाईकिल प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को नगर परिषद जैसलमेर से मामुर करवाकर हमराह लेकर चौकी हाजा पर उपस्थित आये जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में गोपनीय कार्यवाही प्रस्तावित होने से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना–अपना परिचय कमशः श्री हंसराज पिता जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल उम्र 36 साल गांव पोस्ट बबेड़ी पुलिस थाना हरसौरा तहसील वानसूर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर मोवाईल नम्बर [redacted] व श्री प्रभुसिंह पुत्र भौनाराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मोतीनगर पुलिस थाना सदर बाड़मेर हाल फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर [redacted] के रूप में दिया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय स्टाफ एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण से हर समय अपना मोवाईल स्वीच ऑन रखने तथा बुलाने पर तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया।

तावाद दिनांक 09.11.2024 उच्चाधिकारियो के मौखिक निर्देशानुसार कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर में विडियो रिकॉर्डिंग कैमरा उपलब्ध नही होने से भ्रनिब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से कानि श्री मनोहरराम कानि 39 एक कैमरा पैनासोनिक फुल एचडी एच सी–वी 785 मय सम्बन्धित उपकरण लेकर उपस्थित आया जिसको कार्यालय हाजा के मालखाना में मालखाना इंचार्ज से सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 11.11.2024 को परिवादी श्री गेमराराम ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मांग सत्यापन वार्ताओं में बताये अनुसार मुकदमें 81/2024 में मेरी जब्त मोटरसाईकिल की प्रटीकुलरर्स आरसी के कागजात आरटीओ कार्यालय से लाकर देने के लिए कहा था,जिस पर मै अभी आरटीओ कार्यालय जैसलमेर से प्रटीकुलरर्स आरसी लेकर आया हुँ परन्तु आरोपीगण को दी जाने रिश्वती राशि 6000 रूपये की व्यवस्था नही हो पाई है परन्तु मै जल्दी ही पैसो की व्यवस्था कर दूगा।जिस पर पुर्व में पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज पिता जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल उम्र 36 साल गांव पोस्ट बबेड़ी पुलिस थाना हरसौरा तहसील वानसूर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री प्रभुसिंह पुत्र भौनाराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मोतीनगर पुलिस थाना सदर बाड़मेर हाल फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर [redacted] तलविदा ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री गेमराराम पुत्र श्री सन्तोकाराम निवासी पारेवर जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी पुलिस थाना रामगढ का दोनों स्वतन्त्र गवाहो से परस्पर परिचय करवाते हुए,ब्यूरो कार्यालय द्वारा प्रस्तावित गोपनीय कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 05.11.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 07.11.2024 एवं दिनांक 08.11.2024 की वार्ताओ को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में मेमोरी कार्डो को पृथक पृथक डाला जाकर किया जाकर दिनांक 07.11.2024 एवं दिनांक 08.11.2024 के मुख्यांशो को सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई।दिनांक 07.11.2024 को परिवादी श्री गेमराराम व आरोपीगण श्री रामलाल थानेदार एवं श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल किया जाकर मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB को परिवादी श्री गेमराराम के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई थी, की फर्द ट्रांसकिप्टस तैयार करनी शेष हैं। अतः परिवादी श्री गेमराराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रभुसिंह फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर की मौजूदगी में फर्द ट्रांसकिप्टस रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय हाजा के कानि श्री संग्रामसिंह नं. 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से तैयार करनी शुरू की गई।परिवादी श्री गेमराराम व आरोपीगण श्री रामलाल थानेदार एवं श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य दिनांक 07.11.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री गेमराराम के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 07.11.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री संग्रामसिंह कानि 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB से कार्यालय लेपटॉप द्वारा दो अलग अलग डब मेमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB मूल होने से एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम" अंकित किया गया, एवं दूसरे दो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपीगण व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री गेमराराम द्वारा की गई। परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त सत्यापन वार्ता दिनांक 07.11.2024 की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.11.2024 मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम अंकित किया गया। दिनांक 08.11.2024 को परिवादी श्री गेमराराम व आरोपीगण श्री रामलाल थानेदार एवं श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड BRINTON 16 GB को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल किया जाकर मेमोरी कॉर्ड BRINTON 16 GB को

परिवादी श्री गेमराराम के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई थी, की फर्द ट्रांसकिप्टस तैयार करनी शेष हैं। अतः परिवादी श्री गेमराराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुसिंह नगर परिषद जैसलमेर की मौजूदगी में फर्द ट्रांसकिप्टस रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय हाजा के कानि श्री संग्रामसिंह नं. 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से तैयार करनी शुरू की गई। परिवादी श्री गेमराराम व आरोपीगण श्री रामलाल थानेदार एवं श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य दिनांक 08.11.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड BRINTON 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री गेमराराम के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 08.11.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री संग्रामसिंह कानि 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB से कार्यालय लेपटॉप द्वारा दो अलग अलग डब मेमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB मूल होने से एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम–1" अंकित किया गया, एवं दूसरे दो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपीगण व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री गेमराराम द्वारा की गई। परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त सत्यापन वार्ता दिनांक 08.11.2024 की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड BRINTON 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB को एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.11.2024 मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम1 अंकित किया गया। दिनांक 11.11.2024 समय 08.55 पी.एम. पर दिनांक 08.11.2024 को परिवादी श्री गेमराराम व आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य परिवादी के मोबाइल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य हुई, मोबाइल वार्तालाप को कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड SANDISK 08 GB मे कानि श्री किसनाराम 238 के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई थी, की फर्द ट्रांसकिप्टस तैयार करनी शेष हैं। अतः परिवादी श्री गेमराराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुराम फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर की मौजूदगी में फर्द ट्रांसकिप्टस मोबाईल वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय हाजा के कानि श्री संग्रामसिंह नं. 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से तैयार करनी शुरू की गई। दिनांक 11.11.2024 समय 09.30 पी.एम. पर दिनांक 08.11.2024 को परिवादी श्री गेमराराम व आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य परिवादी के मोबाइल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य हुई मोबाइल वार्तालाप को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 08 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री गेमराराम के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट मोबाइल वार्तालाप दिनांक 08.11.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री संग्रामसिंह कानि 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB से कार्यालय लेपटॉप द्वारा दो अलग अलग डब मेमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB मूल होने से एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम–2" अंकित किया गया, एवं दूसरे दो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री गेमराराम द्वारा की गई। दिनांक 11.11.2024 समय 09.55 पी.एम. परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त सत्यापन वार्ता दिनांक 08.11.2024 की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SANDISK 08 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड मोबाइल वार्तालाप दिनांक 08.11.2024 मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क

एम–2 अंकित किया गया। परिवादी श्री गेमराराम को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने रिश्वती राशि 6000 रूपये की व्यवस्था कर लाने की समझाईश करते हुए, परिवादी श्री गेमराराम एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुसिह फायर मैन को पुनः गोपनीयता की हिदायत देकर कल दिनांक 12.11.2024 को समय 5.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया।

दिनांक 12.11.2024 को पुर्व मे पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुसिह फायर मैन एवं परिवादी श्री गेमराराम ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है परिवादी श्री गेमराराम ने बताया कि आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने रिश्वती राशि 6000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हुँ। इस समय रूबरू स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री गेमराराम से आरोपीगण श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि वगैरा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री गेमराराम ने आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500–500 रू. के 12 नोट, कुल राशि 6000 रू0 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रूबरू गवाहान पेश किये। जिस पर परिवादी श्री गेमराराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुसिह फायरमैन के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की किया–प्रतिकिया श्री सम्पतलाल कानि 230 से प्रदर्शित करवाई जाकर इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सम्पतलाल कानि 230 को कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। उपस्थित परिवादी श्री गेमराराम ने अपने मोबाईल वाट्सएप्प कॉल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के वाट्सएप्प नम्बर [redacted] पर वार्ता कर मालुमात किया तो आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि ने बताया कि मै निजी कार्य से जैसलमेर आया हुआ हुँ शाम को करीब 3–4 बजे के आस पास मै पुलिस थाना रामगढ जाउँगा, आप मुझे 4 बजे के आस पास पारेवर फांटा पर हाजिर मिलना, इत्यादि सूचना मिलने पर ट्रेप कार्यवाही अग्रिम रूपरेखा तैयार की गई। श्री चम्पालाल सहायक उप निरीक्षक, श्री कंवराजसिह कानि 444, श्री गुमनाराम कानि 439, श्री भंवरलाल कानि 309 मय अपने निजी वाहन के आरोपीगण की अलग अलग उपस्थिति होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही मे सहयोगार्थ कस्बा रामगढ के लिए आवश्यक गोपनीय हिदायत देकर रवाना किया गया।ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो जाप्ता श्रीमति बन्नू कुमारी हैड कानि 114 श्री किसनाराम कानि 238, श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री संग्रामसिंह कानि 536,श्री नरेन्द्रसिंह कानि 274, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुसिह फायरमैन एवं परिवादी श्री गेमराराम, के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों श्री शेराराम चालक कानि 302 एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, विडियो रिकॉर्डिग कैमरा एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी श्री गेमराराम वाट्सएप्प कॉल नम्बर [redacted] की आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के वाट्सएप्प नम्बर [redacted] पर हुई वार्तानुसार पारेवर फांटा के लिए रवाना हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो जाप्ता श्रीमति बन्नू कुमारी हैड कानि 114 श्री किसनाराम कानि 238, श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री संग्रामसिंह कानि 536,श्री नरेन्द्रसिंह कानि 274, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं प्रभुसिह फायरमैन एवं परिवादी श्री गेमराराम, के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों श्री शेराराम चालक कानि 302 एवं निजी वाहन के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, विडियो रिकॉर्डिग कैमरा एवं अन्य आवश्यक सामग्री के उपरोक्त फिकरा के रवाना होकर पारेवर गांव पहुँचे, आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के बहुत ही शातिर प्रवृति के होने एवं अपनी सही लोकेशन नही बताने के कारण ऐतिहातन के तौर पर एक मोटरसाईकिल हमराह लेकर पारेवर फांटा के आस पास अपनी उपस्थिति गोपनीय रूप से छुपाते हुए आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के आने के इन्तजार में मुकीम रहे। समय 04.25 पीएम तक आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के परिवादी श्री गेमराराम के बताये अनुसार पारेवर फांटे पर उपस्थित नही आने तथा ना ही कोई सम्पर्क करने पर परिवादी श्री गेमराराम के मोबाईल से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मोबाईल पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण ने बताया कि मै प्राईवेट बस से अभी लाणेला के आस पास पहुँचा हुँ तथा थोडी ही देर में पारेवर फांटे पर पहुँचने वाला हुँ ,जिस पर परिवादी श्री गेमराराम को डिजिटल वॉयस

रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के हमराह कानि श्री किसनाराम 238 के मय परिवादी की मोटरसाईकिल के गोपनीय स्थान से पारेवर फांटा की तरफ बाद आवश्यक हिदायत के रवाना किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय ब्यूरो स्टाफ मय वाहनो के पारेवर फांटा से आगे कुछ ही दूरी पर रामगढ रोड के आस पास परिवादी के मुर्करर इशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। समय 04.56 पीएम पर परिवादी के हमराह गये हुए कानि श्री किसनाराम 238 ने जरिये टेलीफोन मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा परिवादी को बताये अनुसार एक बस पारेवर फांटे पर पहुँची थी जिसने परिवादी द्वारा रूकने का इशारा करने के बावजुद भी बस नही रोकी, जिस पर परिवादी ने आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि फोन कर पुछा की आप पारेवर फांटे से अभी निकलने वाली बस में ही बैठे थे क्या? जिस पर आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण ने बताया कि मै इस बस में ही हुँ यह बस रामगढ नही जाकर, जोगा फांटा होकर सेहुआ गांव की तरफ जायेगी, मै तेरे को जोगा फांटे पर मिलुगा मुझे कोई रामगढ के लिए साधन मिल गया तो मै रामगढ में मिलूगा इत्यादि सूचना पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि श्री किसनाराम को निर्देशित किया कि आप परिवादी मय मोटरसाईकिल के रामगढ की तरफ आ जाओ, मै आपको रामगढ के रास्ते आपसे कुछ ही दूरी पर मिलूगा। कानि श्री किसनाराम मय परिवादी श्री गेमराराम जरिये मोटरसाईकिल के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप दल के पास जोगा फांटे से कुछ ही दूरी पहले उपस्थित आये है, परिवादी श्री गेमराराम की टेलीफोनिक वार्ता अनुसार आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के जोगा फांटे पर मिलने की पुर्ण सम्भावना होने पर अविलम्ब ही डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मैमोरी कार्डयुक्त को कानि श्री किसनाराम 238 द्वारा चालु करवाया जाकर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि से रिश्वती राशि लेन–देन हेतु मोटरसाईकिल से रवाना किया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि श्री किसनाराम, हमराह ट्रेप दल मय दोनों वाहनो के परिवादी के पीछे पीछे रामगढ की तरफ रवाना हुए। जोगा फांटा से निकलकर नवलसिंह की ढाणी का फांटे से पहले परिवादी श्री गेमराराम अपनी मोटरसाईकिल से एक अन्य मोटरसाईकिल के पास से गुजरता है,उसी दौरान अन्य मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा श्री गेमराराम को रूकने का इशारा करता है, जिस पर परिवादी श्री गेमराराम अपनी मोटरसाईकिल को अन्य मोटरसाईकिल के पास रामगढ हाईवे पर ही रोक देता है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ट्रेप दल गोपनीयता की दृष्टि से उक्त दोनों मोटरसाईकिलो से धीरे धीरे आगे निकल जाते है चन्द समय बाद ही हमराही कानि श्री किसनाराम 238 के पास परिवादी श्री गेमराराम का फोन आता है और बताता है कि जिस समय आप हमारी दोनों मोटरसाईकिलो के पास से गुजरे थे तत्समय ही दुसरी मोटरसाईकिल के पीछे बैठा व्यक्ति श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि पुलिस थाना रामगढ ही था जिसने मेरी मोटरसाईकिल को इशारा देकर रूकवाई एवं मेरे से रिश्वती राशि के 6000 रूपये लेकर अभी अभी लेकर अपनी पहनी हुई नीले रंग की जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखे है, तथा मैने प्रकरण संख्या 81/2024 के अनुसंधान में श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि द्वारा मंगवाये गये प्रटीकुलर फार्म को भी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि को दे दिये तथा उक्त मोटरसाईकिल कस्बा रामगढ की तरफ आ रही है, मै भी उसके पीछे पीछे मोटरसाईकिल से चल रहा हुँ उपरोक्त समस्त वार्तालाप कानि श्री किसनाराम के द्वारा लाउडस्पीकर किये गये फोन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा हमराही ट्रेप दल के सदस्य शिवप्रताप कानि 541, श्री संग्रामसिह कानि 536, एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एव श्री प्रभूसिहं द्वारा सूना गया इत्यादि आमदा सूचना पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गाड़ी को अविलम्ब ही नवलसिंह की ढाणी का फांटे की तरफ घुमाया इतने में ही परिवादी द्वारा बताये गये हुलिये के दो व्यक्ति एक मोटरसाईकिल पर गाड़ी के पास से रामगढ कस्बे की तरफ निकले तथा उक्त मोटरसाईकिल के पीछे पीछे ही चल रहे परिवादी ने पास से गुजरी मोटरसाईकिल की तरफ ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गाडी को पुनः रामगढ कस्बे की तरफ मोड़कर उक्त मोटरसाईकिल का पीछा कर बराबर पहुँच रूकने का ईशारा किया तो उक्त मोटरसाईकिल के चालक ने मोटरसाईकिल को हड़बड़ाते हुवें 400केवी जीएसएस रामगढ के पास रोड के डिवाईडर की तरफ मुख्य रोड पर ही रोक दी, मोटरसाईकिल के रूकते ही पीछे बैठा व्यक्ति उतर कर भागने का प्रयास करने लगा इतने मे ही मेरे ड्राईवर सीट के पीछे बैठा कार्यालय कानि श्री शिवप्रताप 541 ने मोटरसाईकिल के पीछे से उतर कर भागने वाले व्यक्ति की गिरेबान को पीछे से पकड़ लिया मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप दल ने उसको चारो ओर से घेर लिया, तत्समय पीछे से ही मोटरसाईकिल पर

आ पहुँचे परिवादी श्री गेमराराम ने बताया कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है वो ही श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब है। जिसने मेरे से जोगा फांटा से निकलकर नवलसिंह की ढाणी का फांटे से पहले मेरी मोटरसाईकिल को इशारा देकर रूकवाई एवं मेरे से रिश्वती राशि के 6000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई नीले रंग की जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखे थे, तथा मैने प्रकरण संख्या 81/2024 के अनुसंधान में इनके द्वारा मंगवाये गये प्रटीकुलर फार्म को भी श्री लक्ष्मीनारायण हैड ने लिये थे, कानि श्री किसनाराम द्वारा परिवादी श्री गेमराराम से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मैमोरी कार्डयुक्त को लिया जाकर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसको मैने मेरी अभिरक्षा मे सुरक्षित रखा, जिसकी फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप को आईन्दा मुर्तिब किया जाने का निर्णय लिया गया। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि को अपना व ट्रेप दल का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत कराते हुए नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम जाति भील उम्र 43 साल निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर होना बताया, आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि को परिवादी द्वारा दी गई रिश्वती राशि 6000 रूपये के बारे में पुछा तो उक्त रिश्वती राशि अपने जिन्स पेन्ट की जेब में होना बताया ताबाद आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि को मोटरसाईकिल पर हमराह साथ लाने वाले मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 15 एसएफ 3456 के चालक का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री ठाकुरदास पुत्र श्री लुणकरणदास जाति भार्गव उम्र 60 साल निवासी आन्नदपुरा रामगढ पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया तथा पुछने पर बताया कि "मै अभी सोनु से जोगा फांटा होकर रामगढ की तरफ आ ही रहा था तभी मुझे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने जोगा फांटा पर हाथ का ईशारा देकर रूकवाया और कहा कि मुझे भी रामगढ चलना है तो इनके पुलिस थाना रामगढ में होने के कारण पुर्व परिचित होने से मैने मेरी मोटरसाईकिल के पीछे बैठा लिया था, जोगा फांटा से निकलकर नवलसिंह की ढाणी का फांटे से पहले एक मोटरसाईकिल वाला व्यक्ति मेरी मोटरसाईकिल के पास से रामगढ की तरफ गुजर ही रहा था, तो मेरे पीछे बैठे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने उसे एवं मुझे रूकने के लिए कहा, तो उसने अपनी मोटरसाईकिल मेरी मोटरसाईकिल के पास रामगढ हाईवे पर ही रोक दी जिस पर इन दोनो के आपस मे पैसो की लेन देन एवं कागजो के सम्बन्ध में वार्ता होती है जिस पर उस व्यक्ति द्वारा अपनी जेब से पैसे निकालकर देता है जिन्हे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब अपने पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लेता है तथा कागज देने पर अपने हाथ में ही रखता है फिर हम दोनों ही वहॉ से रवाना हो जाते है हाईवे पर चलते है तो कुछ ही दुरी पर आप द्वारा अपनी गाड़ी में बराबर चलकर रूकने का ईशारा करते है तो लक्ष्मीनारायण हैड साहब मुझे भगाने का कहते है मगर मैने मोटरसाईकिल रोक दी, श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने उस व्यक्ति से पैसे तथा कागज किस बात के लिए इसकी मुझे कोई जानकारी नही है।" इत्यादि बात मौके पर श्री ठाकुरदास द्वारा बताई गई। घटना स्थल एनएच 68 मुख्य सड़क जैसलमेर रामगढ रोड़ होने से वाहनों के आवागमन अधिक होने व मौके पर हाथ धोवन की कार्यवाही कर पाना असम्भव होने से श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि का दाहिना हाथ कलाई से उपर स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज से एवं बॉया हाथ हाथ कलाई से उपर स्वतन्त्र गवाह श्री प्रभुसिह पकड़वाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की निजी गाड़ी में बैठाकर मय ट्रेप दल के दोनों वाहनो एवं परिवादी श्री गेमराराम व श्री ठाकुरदास को अपनी अपनी मोटरसाईकिलो से ही नजदीकी सरकारी भवन थर्मल पावर हाउस के गेस्ट हाउस में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित आने के लिए निर्देशित किया जाकर रवाना हुआ। थर्मल पावर हाउस के गेस्ट हाउस पहुचे तथा थर्मल पावर हाउस के गेस्ट हाउस प्रभारी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये टेलीफोन से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही में हमराह कानि श्री संग्रामसिह 536 से सरकारी कैमरा पैनासोनिक फुल एचडी एच सी–वी 785 में विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि से परिवादी श्री गेमराराम से प्राप्त रिश्वती राशि 6000 रूपये के बारे में पुनः पुछने पर श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि ने रिश्वती राशि 6000 रूपये परिवादी से लेने से इंकार करते हुए अपने पास नही होना बताया स्वयं कथन कर बताया कि मुझे श्री गेमराराम द्वारा जोगा फांटा से निकलकर नवलसिंह की ढाणी का फांटे से पहले गेमराराम को मेरे रूकने का इशारा करने पर उसने अपनी मोटरसाईकिल रोककर मुझे व्हीकल प्रटीकुलर आरसी के कागज दिये थे इसके अलावा मुझे कुछ भी नही दिया था। जिससे बार बार पुछने पर भी उपरोक्त कथन दौहराता रहा, स्वयं कथन में कहा कि अगर श्री गेमराराम द्वारा दिये गये कागजों में अगर पैसे थे तो मुझे जानकारी नही है। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री गेमराराम ने बताया कि श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने मेरे से रिश्वती राशि के 6000 रूपये

लेकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखे थे तथा मैने प्रटीकुलर फार्म भी दिया था, हैड साहब अब झुठ बोल रहे है। जिस पर श्री लक्ष्मीनारायण निरूत्तर रहा ताबाद उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री प्रभुसिह फायरमैन से तलाशी लिवाई गई तो व्हीकल प्रटीकुलर आरसी नम्बर आर जे 15 एसडी 7149 एवं स्वय का विभागीय परिचय पत्र तथा आधार कार्ड नम्बर 270340775104, पैन कार्ड नम्बर एएचयुपीएन6961जी, एक खाली पर्स पहने हुई पेन्ट की जेब में मिले, इसके अलावा एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन जिसके आईएमईआई नम्बर 353881/48/031797/9, व 358999/85/031797/6 मिला, उक्त के अलावा कोई राशि नही पाई गई। जिस पर आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण के थैले की तलाशी श्री प्रभुसिह फायरमैन से द्वारा लिवाई गई तो इस्तेमाली कपड़े एवं दीगर थाने की डाक एवं कागजात तथा प्रकरण संख्या 72/2024 पुलिस थाना रामगढ की मूल पत्रावली मिली जो प्रकरण में वांछित नही होने के कारण कब्जा एसीबी नही लिया गया है। बार बार जामा तलाशी एवं आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण से पुछताछ पर भी रिश्वती राशि 6000 रूपये बरामद नही होने पर आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए थर्मल पावर हाउस के गेस्ट हाउस रामगढ में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच–2 अंकित किया गया। चुकि रिश्वती राशि 6000 रूपये आरोपी से बरामद नही होने एवं परिवादी श्री गेमराराम के उपरोक्त खण्डन कथनो अनुसार आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट के दाहिनी उपरी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि पहनी हुई जिन्स पेट को उतरवाया गया तथा आरोपी के बैग से इस्तेमाली कपड़ो से पुलिस वर्दी की एक पेन्ट निकाल कर पहनाई गई, पहनी हुई जिन्स पेन्ट के दाहिनी उपरी जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर इस पानी में एक–दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी की नीले रंग की जिन्स पैण्ट के दाहिनी उपरी जेब को उलटवाकर तीन–चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित किया गया। हाथ धोवन कार्यवाही तथा जिन्स पेन्ट धोवन कार्याही मे प्रयुक्त किये गये कुल 03 पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो व प्रयुक्त तीन चम्मच को नष्ट किया गया। बाद उक्त जिन्स पैण्ट की जेब को कुछ देर तक सुखाकर जेब के अन्दर की तरफ आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर भी संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क–पी. अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया, चुकि रिश्वती राशि 6000 रूपये आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण से अब तक बरामद नही हुए है, मगर आरोपी के दोनों हाथों एवं पहनी हुई जिन्स पेन्ट के उपरी जेब के धोवन का रंग कमशः हल्का गुलाबी एवं हल्का झाईदारी होने से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण ने परिवादी श्री गेमराराम से रिश्वत के रूप में 6000 रूपये प्राप्त किये है। आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण को एसीबी की कार्यवाही की भनक लगने पर मौका पाकर बीच रास्ते में कही फैक दिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुर्व में कस्बा रामगढ मै मौजुद ब्यूंरो कानि श्री भंवरलाल 309 एवं श्री कंवराजसिंह कानि 444 को जरिये मोबाईल सूचित कर रामगढ जैसलमेर रोड पर स्थित 400 केवी जीएसएस रामगढ में तथा श्री चम्पालाल सहायक उप निरीक्षक एवं श्री गुमनाराम कानि

439 को प्रकरण हाजा मे वांछित आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करने की हिदायत की जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी श्री गेमराराम मय आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि, श्री संग्रामसिंह कानि मय विडियो कैमरा मय निजी वाहन, मय किसनाराम कानि , श्री शिवप्रताप कानि मय निजी एवं सरकारी वाहन के रवाना होकर रामगढ जैसलमेर रोड पर स्थित 400 केवी जीएसएस रामगढ के पास पहुँचे है जहाँ पर तलविदा कानि श्री भंवरलाल कानि 309 एवं श्री कंवराजसिह कानि 444 भी मौके पर उपस्थित आये है, कानि श्री संग्रामसिंह से सरकारी कैमरे से विडियोग्राफी शुरू करवाई जाकर हाईवे पर चलने वाले साधनो को एक तरफ डायवर्जन करवाया जाकर सघन तलाशी प्रारम्भ की गई, दौराने तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज सहायक अभियन्ता को सडक के बीच में लगे डिवाईडर के पास कुछ नोट बिखरे हुए एवं कुछ नोट बंडल के रूप में पड़े दिखे, गवाह श्री हंसराज द्वारा पैसे मिल जाने की आवाज देने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री प्रभुसिंह फायरमेन मय परिवादी श्री गेमराराम मय आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि, श्री किसनाराम कानि, श्री शिवप्रताप कानि, श्री कंवराजसिंह कानि, विडियोग्राफर कानि श्री संग्रामसिंह के हंसराज सहायक अभियन्ता के पास पहुँचे तो सडक के बीच में लगे डिवाईडर के पास कुछ नोट बिखरे हुए एवं कुछ नोट बंडल के रूप में पड़े मिले, जिन्हे स्वतन्त्र गवाह श्री प्रभुसिंह फायरमेन से इकठे करवाये जाकर गिनवाये गये तो भारतीय मुद्रा के 500–500 रू0 के कुल 12 नोट,कुल राशि 6000 रू0 होना पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री प्रभुसिंह फायरमेन के पास सुरक्षित रखवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि द्वारा परिवादी श्री गेमराराम से आज दिनांक को रिश्वत में प्राप्त की गई, बरामदा रिश्वती राशि 6000 रूपये के संबन्ध में श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस के 7000 रूपये मे से 4000 रूपये फोन पे प्राप्त करने के बाद शेष रहे 3000 रूपये के आज प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई गई तो उक्त शेष 3000 रूपये आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस ने स्वय के हिस्से की होना स्वीकार किया ताबाद इसी तरह आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] से प्रकरण संख्या 81/2024 के अनुसंधान अधिकारी श्री भीखसिह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर शेष रहे 3000 रूपये के सम्बन्ध में वार्ता करवाई गई मगर उक्त ट्रेप कार्यवाही समय अधिक हो जाने तथा कार्यावाही की भनक पुलिस थाना कर्मियों को भी लग जाने के कारण श्री भीखसिंह द्वारा सोच समझ कर वार्ता करना प्रतीत होता है। इस कारण से उसकी संदिग्ध भूमिका से इंकार नही किया जा सकता है। उपरोक्त दोनो मोबाईल वार्तालाप को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दो स्वतनत्र गवाहान की उपस्थिति में कानि श्री किसनाराम 238 से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मेमोरी कार्डयुक्त BRINTON 16 GB को चालू करवाया जाकर रिकॉर्ड करवाई है,को पुनः कानि श्री किसनाराम 238 से स्वीच ऑफ करवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मेरी अभिरक्षा मे सुरक्षित रखा, जिसकी फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि लेन देन मोबाईल वार्तालाप को आईन्दा मुर्तिब किया जाने का निर्णय लिया गया।आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर एवं आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि,श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस के लिए फोन पे नम्बर [redacted] पर रिश्वत के रूप में 4000 रूपये की रिश्वती राशि युटीआर नम्बर [redacted] दिनांक 08.11.2024 समय 11.27 ए.एम. प्राप्त करने वाले श्री अजयपालसिह प्राईवेट दलाल को प्रकरण हाजा मे दस्तयाब किया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि मय दो स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल कानि 309, श्री कंवराजसिह कानि 444, श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री संग्रामसिंह कानि 536, श्रीमति बन्नुकुमार हैड कानि 114 मय निजी वाहनो से पुलिस थाना रामगढ एवं आरोपी श्री अजयपालसिंह की तलाश हेतु कस्बा रामगढ के लिए रवाना हुए, श्री चम्पालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री गुमनाराम कानि 439 को निर्देशित किया कि आप पुलिस थाना रामगढ पहुँचे एवं आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस को दस्तयाब करने का प्रयास करे। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक मय आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि मय दो स्वतन्त्र गवाहान मय उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा ब्यूरो जाब्ता मय श्री चम्पालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री गुमनाराम कानि 439 मय आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस व श्री अजयपाल सिह प्राईवेट दलाल को कस्बा रामगढ से दस्तीयाब किया एवं आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस के निशादेही से अभियोग संख्या 78/2024 दिनांक 24.10.2024 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना रामगढ की मूल पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 74 तक एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि की निशादेही से अभियोग संख्या 81/2024 दिनांक 01.11.2024 धारा 19/54 व 54 क आबकारी अधिनियम पुलिस थाना रामगढ की मूल पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 51 तक को प्रकरण हाजा में वांछित होने के कारण प्रमाणित पत्रावली की आवश्यकता होने व श्री जयकिशन सोनी थानाधिकारी के थाने पर नही होने तथा द्वितीय थानाधिकारी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस को प्रकरण में डिटेन कर लिया जाने के कारण वर्तमान में पुलिस थाना रामगढ पर कोई प्रमाणित कर्ता अधिकारी उपस्थित नही है श्री जयकिशन सोनी थानाधिकारी/प्रमाणित कर्ता अधिकारी के थाने पर उपस्थित आने पर उपरोक्त दोनो मूल पत्रावलियों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर परिवादी के लम्बित कार्य प्रभावित होने के कारण मूल पत्रावलियां पुनः सुपुर्द की जावेगी। श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि व श्री रामलाल थानेदार द्वारा दिनांक 08.11.2024 को बताये अनुसार फोन पे नम्बर [redacted] पर 4000 रूपये रिश्वती राशि के रूप में करने के लिए कहने पर परिवादी श्री गेमराराम से 4000 रूपये की रिश्वती राशि फोन पे पर दिनांक 08.11.2024 समय 11.27 एएम युटीआर नम्बर 910672057451 से प्राप्त करने के बारे में उपस्थित फोन पे धारक श्री अजयपालसिंह से पुछने पर बताया कि उक्त 4000 रूपये मेरे खाते में दिनांक 08.11.2024 को समय 11.27 एएम पर आये थे, जो मेरे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब उसी रोज लेकर गये थे, जिससे पुनः पुछने पर बताया कि उक्त 4000 रूपये मेरे को लक्ष्मीनारायण ने घी के होना बताया था जिस पर उपस्थित परिवादी गेमराराम ने बताया कि लक्ष्मीनारायण मेरे से दारू की दुकान चलाने के लिए मंथली बन्दी लेता था अकसर मंथली वह मेरी दुकान पर आकर ले जाता था तथा कभी कभार वह मंथली के पैसे अपने रिस्तेदारों व फोन पे नम्बर [redacted] पर भी लेता था मैने दिनांक 24.09.2024 को श्री लक्ष्मीनारायण के कहने पर 2500 रूपये समय 1.26 पीएम पर युटीआर नम्बर [redacted] पर भी करवाये थे, मैने मेरे फोन पे से कर दिये श्री अजयपालसिंह अपने उक्त फोन पे नम्बर से श्री लक्ष्मीनारायण की दलाली करता है और पैसे फोन पे पर प्राप्त करके इसके जानपहचान वालो को भेजता है उपरोक्त पर श्री अजयपालसिंह के मोबाईल वन प्लस मॉडल सीपीएच 2467 बरंग ग्रे, आई एमई आई 865952066923554 एवं 865952066923547 है को, प्रकरण हाजा में वांछित होने से कब्जा ब्यूरो लिया जाकर अग्रिम अनुसंधान के कमे मे एक लिफाफे मे डालकर खुली हालात में सुरक्षित रखा गया मोबाईल पर किसी प्रकार कोई स्कीन लॉक नही होना पाया गया

प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रामलाल, उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री रामलाल पुत्र श्री भानाराम जाति जाट 58 साल निवासी ग्राम कुड़ी पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी कहेनुसार उनके सहकर्मी चुतराराम हैड कानि नं 32 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर मो0न0 [redacted] को अज खुद थर्मल पावर गेस्ट हाउस रामगढ पर उपस्थित आने से रूबरू दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण, हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम जाति भील उम्र 43 साल निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया

पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार उनके सहकर्मी चुतराराम हैड कानि नं 32 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर मो0न0 [redacted] को अज खुद थर्मल पावर गेस्ट हाउस रामगढ पर उपस्थित आने से रूबरू दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के दौराने तलाशी प्राप्त प्रकरण संख्या 72/2024 पुलिस थाना रामगढ की मूल पत्रावली उक्त प्रकरण में वांछित नही होने के कारण कब्जा एसीबी नही ली गई, जो मूल ही पत्रावली सहकर्मी श्री चुतराराम हैड कानि नं 32 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर को सुपुर्द की जाकर प्राप्ति प्राप्त की गयी। ताबाद प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अजयपालसिंह (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री अजयपालसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपुत उम्र 28 साल निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराब जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार उनके बडे भाई श्री खेतसिह पिता इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी जानसिह की बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराब जिला बाड़मेर दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी की उपस्थिति में वक्त ट्रेप आज के रोज रिश्वती राशि की बरामदगी एंव जामा तलाशी आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण है कानि की विडीयोग्राफर कानि श्री संग्राम सिंह नं. 536 ने जरिये सरकारी विडीयो ग्राफी कैमरा में लगे राजकीय मेमोरी काड SANDISK 32 GB में श्री संग्राम सिंह कानि. के माध्यम से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB मूल ही कानि. को सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान विडियो रिकॉर्डिंग में रिश्वती राशि बरामदगी कार्यवाही के फोल्डर अलग अलग को कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से रिश्वती राशि बरामदगी कार्यवाही के अलग अलग फोल्डरो को के मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क वी–1 अंकित कर उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस मय हमराह ब्यूरो स्टाफ श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री कंवराजसिंह कानि 444, मय विडियोग्राफर कानि श्री सग्रामसिंह 536 मय सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय चालक श्री शेराराम के आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस के किराये के रहवासी मकान राम मन्दिर के सामने रामगढ जिला जैसलमेर की खाना तलाशी ली जानी हैं, लिहाजा खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस मय हमराह ब्यूरो स्टाफ श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री कंवराजसिंह कानि 444, मय विडियोग्राफर कानि श्री सग्रामसिंह 536 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेराराम के फिकरा बाला का रवानाशुदा आरोपी श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस के किराये के रहवासी मकान राम मन्दिर के सामने रामगढ जिला जैसलमेर की खाना तलाशी की विडियोग्राफर कानि श्री संग्रामसिंह 536 से सरकारी कैमरा में विडियोग्राफी करवाई जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई व फर्द खाना तलाशी रहवासी मकान में विडियोग्राफी कैमरा में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB विडियोग्राफी कैमरा से निकाल कर कार्ड को कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क वी–2 अंकित कर उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 13.11.2024 को आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि को मोटरसाईकिल पर हमराह साथ लाने वाले मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 15 एसएफ 3456 के चालक श्री ठाकुरदास पुत्र श्री लुणकरणदास जाति भार्गव उम्र 60 साल निवासी आन्नदपुरा रामगढ पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर 8290560884 ने अपने विडियोग्राफी कथन किये कि "मै अभी सोनु से जोगा फांटा होकर रामगढ की तरफ आ ही रहा था तभी मुझे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने जोगा फांटा पर हाथ का ईशारा देकर रूकवाया और कहा कि मुझे भी रामगढ चलना है तो इनके पुलिस थाना रामगढ में होने के कारण पुर्व परिचित होने से मैने मेरी मोटरसाईकिल के पीछे बैठा लिया था, जोगा फांटा से निकलकर नवलसिंह की ढाणी का फांटे से पहले एक मोटरसाईकिल वाला व्यक्ति मेरी मोटरसाईकिल के पास से रामगढ की तरफ गुजर ही रहा था, तो मेरे पीछे बैठे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने उसे एवं मुझे रूकने के लिए कहा, तो उसने अपनी मोटरसाईकिल मेरी मोटरसाईकिल के पास रामगढ हाईवे पर ही रोक दी जिस पर इन दोनो के आपस मे पैसो की लेन देन एवं कागजो के सम्बन्ध में वार्ता होती है जिस पर उस व्यक्ति द्वारा अपनी जेब से पैसे निकालकर देता है जिन्हे श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब अपने पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लेता है तथा कागज देने पर अपने हाथ में ही रखता है फिर हम दोनों ही वहॉ से रवाना हो जाते है हाईवे पर चलते है तो कुछ ही दुरी पर आप द्वारा अपनी गाड़ी में बराबर चलकर रूकने का ईशारा करते है तो लक्ष्मीनारायण हैड साहब मुझे भगाने का कहते है मगर मैने मोटरसाईकिल रोक दी, श्री लक्ष्मीनारायण हैड साहब ने उस व्यक्ति से पैसे तथा कागज किस बात के लिए इसकी मुझे कोई जानकारी नही है।" इत्यादि कथनो की विडियोंग्राफी कानि श्री संग्रामसिंह 536 के द्वारा सरकारी कैमरे में मेमोरी कार्ड इस्ट्रॉल करवाया जाकर BRINTON 16 GB करवाई गई थी मै प्रयुक्त मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी कैमरा से निकाल कर BRINTON 16 GB मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क वी–3 अंकित कर उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। श्री ठाकुरदास को मय अपनी मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 15 एसएफ 3456 के रूकसत किया गया।ताबाद परिवादी श्री गेमराराम व आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन देन की वार्तालाप दिनांक 12.11.2024 को डिजीडल वाईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB इंस्ट्रॉल किया जाकर करवाई गई थी, की फर्द ट्रांसकिप्टस रिश्वति राशि लेन देन वार्तालाप तैयार करनी शेष होने से दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रभुसिंह फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर की मौजूदगी में फर्द ट्रांसकिप्टस लेन देन वार्तालाप शब्द बशब्द मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय हाजा के कानि श्री संग्रामसिंह नं. 536 से कार्यालय हाज के लेपटॉप से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB से कार्यालय लेपटॉप द्वारा दो अलग अलग डब मेमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB मूल होने से एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क A1

अंकित किया गया, एवं दूसरे दो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुये खुला रखा गया। ताबाद दिनांक 12.11.2024 को आरोपी श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री रामलाल के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य व श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री भीखसिंह हैड कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण हेड कानि से वाद रिश्वती राशि लेन देन के वार्ता करवाई गयी थी उक्त मोबाइल वार्ताओं को कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड BRINTON 16 GB मे कानि श्री किसनाराम 238 के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई थी, की फर्द ट्रांसकिप्टस तैयार करनी शेष हैं। अतः दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री हंसराज सहायक अभियन्ता एवं श्री प्रभुसिंह फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर की मौजूदगी में फर्द ट्रांसकिप्टस मोबाईल वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय हाजा के कानि श्री संग्रामसिंह नं. 536 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से तैयार करवाई गयी । मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB से कार्यालय लेपटॉप द्वारा दो अलग अलग डब मेमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB मूल होने से एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर जरिये फर्द जब्त किया जाकर फर्द व थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क A2 अंकित किया गया एवं दूसरे दो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुये खुला रखा गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह श्री भंवरलाल कानि मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री गेमराराम मय सरकारी वाहन चालक श्री शेराराम के गेमराराम की निशांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी एंव हालात मौका मुर्तिब करने हेतु रवाना हुआ। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह श्री भंवरलाल कानि मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री गेमराराम मय सरकारी वाहन चालक श्री शेराराम के रवाना होकर घटना स्थल पहुँचा जहाँ गेमराराम की निशांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी एंव हालात मौका मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया जाकर बाद मौका मुर्तिब के हाजिर आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री चम्पालाल सहायक उप निरीक्षक मय श्री संग्रामसिंह कानि , श्री नरेन्द्रसिंह कानि , श्री गुमनाराम कानि मय सरकारी वाहन चालक श्री शेराराम कानि 302 गिरफतारशुदा मुलजिमान श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि, श्री अजयपालसिंह को वास्ते कराने स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ रवाना किया गया। उपरोक्त फिकरा बाला के रवानशुदा श्री चम्पालाल सहायक उप निरीक्षक मय श्री संग्रामसिंह कानि , श्री नरेन्द्रसिंह कानि , श्री गुमनाराम कानि मय सरकारी वाहन चालक श्री शेराराम कानि 302 गिरफतारशुदा मुलजिमान श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि, श्री अजयपालसिंह को बाद स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ हाजिर आये। ताबाद पुलिस थाना रामगढ में दर्ज अभियोग संख्या 78/2024 दिनांक 24.10.2024 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना रामगढ की मूल पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 74 तक एवं श्री लक्ष्मीनारायण हैड कानि की निशादेही से अभियोग संख्या 81/2024 दिनांक 01.11.2024 धारा 19/54 व 54 क आबकारी अधिनियम की मूल पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 51 तक प्रकरण हाजा में वांछित होने के कारण मूल पत्रावली कल दिनांक को आरोपीगण के निशादेही से ली गई थी श्री जयकिशन सोनी थानाधिकारी के पावर हाउस के गेस्ट हाउस में उपस्थित आये है जिनको परिवादी के लम्बित कार्य प्रभावित होने के कारण मूल पत्रावलियां को सुपुर्द किया जाकर उनकी छाया प्रतियो को श्री जयकिशन सोनी से प्रमाणित करवार प्राप्त शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये डब मेमोरी कार्डो में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओ दिनांक 07.11.2024, दिनांक 08.11.2024 व दिनांक 12.011.2024 को रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालापो में आरोपीगण श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस व श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि की आवाज पहचान करने हेतु पुलिस थाना रामगढ से श्री चुतराराम हैड कानि नम्बर 32 एवं श्री उमराव मीना कानि 920 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर से निर्देशानुसार थर्मल पावर हाउस गेस्ट हाउस पर उपस्थित आये, आरोपीगण श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस व श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के स्टाफकर्मी चुतराराम हैड कानि नम्बर 32 एवं श्री उमराव मीना कानि 920 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर के रूबरू मौतबिरान आवाज पहचान प्रारंभ करवाई गई।ताबाद कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये डब मेमोरी कार्डो में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओ दिनांक 07.11.2024, दिनांक 08.11.2024 व दिनांक 12.011.2024 को रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालापो में आरोपीगण श्री रामलाल उप

निरीक्षक पुलिस व श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि की आवाज पहचान करने हेतु पुलिस थाना रामगढ से श्री चुतराराम हैड कानि नम्बर 32 एवं श्री उमराव मीना कानि 920 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर से निर्देशानुसार थर्मल पावर हाउस गेस्ट हाउस पर उपस्थित आये थे, से आरोपीगण श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस व श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि के सहकर्मी श्री चुतराराम हैड कानि नम्बर 32 एवं श्री उमराव मीना कानि 920 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर के रूबरू मौतबिरान वार्ताओ को पृथक पृथक सुनाया जाकर आवाज पहचान करवाई गई तो उक्त सभी वार्ताओ में आरोपीगण श्री रामलाल उप निरीक्षक पुलिस व श्री लक्ष्मीनाराण हैड कानि की होना बताया जिसकी फर्द पृथक पृथक से मामूर की जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् नरपतचन्द अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाब्ता श्री किसनाराम कानि 238, श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री संग्रामसिंह कानि 536, श्री नरेन्द्रसिंह कानि 27, श्री चम्पालाल एएसआई, श्री भंवरलाल कानि 309 श्री कवराजसिह कानि 444, श्री गुमानाराम कानि 439, श्रीमति बन्नुकुमारी हैड कानि 114 मय दो स्वन्तत्र गवाहान श्री हसराज सहायक अभियन्ता, श्री प्रभुसिह फायरमैन मय सम्पुर्ण ट्रेप बॉक्स मय गिरफतारशुदा आरोपीगण 1. श्री रामलाल पुत्र श्री भानाराम जाति जाट 58 साल निवासी ग्राम कुड़ी पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर।2.श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम जाति भील उम्र 43 साल निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर।3. श्री अजयपालसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपुत निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराब जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) व परिवादी श्री गेमराराम के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों चालक कानि. श्री शेराराम 302 एवं मन् अतिरिक्त पुलिस के निजी वाहन व कानि श्री भंवरलाल 309 के निजी वाहन के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय मालखाना आईटम्स आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2, पी.–1, पी.–2, मार्क एम, मार्क एम1, मार्क एम 2, मार्क ए1 ए2, मार्क वी1, वी2 वी3 सील्ड सुदा रिश्वती राशि 6000 रू. का आरोपित लक्ष्मीनारायण हैड कानि के जिन्स पैण्ट का सील्डयुक्त पैकेट मार्क–पी., सरकारी विडियोग्राफी कैमरा, आवश्यक सामग्री एवं अन्य के थर्मल पावर हाउस के गेस्ट हाउस से रवाना होकर कार्यालय भ्रनिब्यूरो जैसलमेर पहुँच सरकारी विडियोग्राफी कैमरा के अलावा उपरोक्त सम्पुर्ण मालखाना आईटम को महिला कानि श्रीमति बन्नुकुमारी के सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय भंवरलाल 309 कंवराजसिह 444, श्री सम्पतराम कानि 230 मय प्रकरण की पत्रावली सम्पुर्ण ट्रेप बॉक्स मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा आरोपित लक्ष्मीनारायण हैड कानि की मौजूदगी में उसके पुलिस लाईन परिसर में स्थित सरकारी आवासीय 201 आरोपी निशोदेही से पहुँच कर खाना तलाशी ली गई जिसकी फर्द पृथक से मामुर की गई विडियोग्राफी कानि श्री सम्पतलाल कानि 230 से करवाई जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी रहवासी मकान मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। फर्द खाना तलाशी मकान में विडियोग्राफी कैमरा में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB विडियोग्राफी कैमरा से निकाल कर कार्ड को कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से मूल मेमोरी कार्ड BRINTON 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क वी–4 अंकित कर उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाकर हमराह उपरोक्तान के हाजिर कार्यालय आया। मार्क वी4 व विडियोग्राफी कैमरा को महिला कानि श्रीमति बन्नुकुमारी 114 को सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री गेमराराम से संबधित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी हैं। अब अग्रिम कार्यवाही में इनकी आवश्यकता नहीं होने से परिवादी श्री गेमराराम व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज पिता जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल उम्र 36 साल गांव पोस्ट बबेड़ी पुलिस थाना हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री प्रभुसिंह पुत्र भौनाराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मोतीनगर पुलिस थाना सदर बाड़मेर हाल फायरमैन नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर [redacted] को बमुकाम भ्र.नि.ब्यूरों जैसलमेर से फॉरिक किया गया।

प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री रामलाल पुत्र श्री भानाराम जाति जाट 58 साल निवासी ग्राम कुड़ी पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उप

निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर 2.श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम जाति भील उम्र 43 साल निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस व 3. श्री अजयपालसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपुत निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराव जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) के विरूद्व धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित है 1. श्री रामलाल हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर 2.श्री लक्ष्मीनारायण हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर 3. श्री अजयपालसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपुत निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराव जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इन्हें ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी. एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारीयों पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अतः आरोपीगण 1. श्री रामलाल पुत्र श्री भानाराम जाति जाट 58 साल निवासी ग्राम कुड़ी पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर 2.श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम जाति भील उम्र 43 साल निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि 1545 पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस व 3. श्री अजयपालसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपुत निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराब जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राशि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) के विरूद्व धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन आदेश प्रदान करने का श्रम करावें। अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(नरपतचन्द)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नरपतचन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री रामलाल पुत्र श्री भानाराम, निवासी ग्राम कुड़ी पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जिला जैसलमेर 2.श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम, निवासी सरकारी अस्पताल के सामने लोहिया पाड़ा मोहनगढ पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल हैड कानि. नम्बर 1545, पुलिस थाना रामगढ, जिला जैसलमेर एवं 3.श्री अजयपाल सिंह पुत्र तेजमाल सिंह, निवासी जानसिंह बेरी तहसील गडरा पुलिस थाना गिराब, जिला बाड़मेर (फोन पे पर रिश्वती राषि प्राप्त करने वाला प्राईवेट दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 262/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया जाकर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

(ज्ञान सिंह चौधरी)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1439-44 दिनांक 13.11.2024

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।
6. श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।